ईश्वरसिंह राठौड़ बनाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर

09.07.2018 प्रकरण संख्या 14/2018

अपीलांट अनुपस्थित व राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर का जवाब प्राप्त हुआ।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर ने कथन किया कि आवेदित सूचना बाबत अपीलांट का आवेदन पत्र 25.04.2018 को प्राप्त हुआ। आवेदित सूचना समयावधि में अपीलांट को जरिए पत्रांक/302 दिनांक 22.05.2018 को प्रेषित की जा चुकी थी। अपील में अपीलांट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रेषित सूचना बिन्दु संख्या 1 से 3 की किस प्रकार से स्पष्ट सूचना पूर्ति नहीं हो रही है व किस प्रकार से सूचना बिन्दु को स्पष्ट नहीं किया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कार्यालय रिकार्ड में जिस प्रकार दस्तावेज रखे जाते है। उसी आधार पर उनकी प्रतियां उपलब्ध करवाई जाती है। इस प्रकरण में उपलब्ध सूचनाए अपीलांट को बाद शुल्क 61 पृष्ठीय सूचनाए प्रेषित की गई है। अत:अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया। अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 41 एफ 009246 के संलग्न अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.04.2018 जो कि रेस्पोडेन्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्तं जिला कलेक्टर) जालोर के कार्यालय में 25.04.2018 को प्राप्त होना अवगत करवाया है, के द्वारा चाही गई सूचना रेस्पोडेन्ट द्वारा उपलब्ध सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/302 दिनांक 22.05.2018 से भिजवाई जाना पाया जाता है। इस प्रकार प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

सही

(बी.एल.कोठारी)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

(जिला कलेक्टर)

जालोर